



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-12102026-277081
CG-UP-E-12102026-277081

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5362]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948

No. 5362]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 5 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5574(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20-क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “इटावा बाईपास (10.98 कि०मी०)” निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20-घ की उप-धारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), इटावा, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किये जायें और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20-घ की उप धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना इटावा बाईपास (10.98 किमी०) के लिए इटावा जिले के इटावा सदर व जसवन्त नगर तहसील में आने वाली भूमि का अवसंरचना सहित या रहित संक्षिप्त विवरण

जिला-इटावा				
क्र० सं०	तहसील	ग्राम	गाटा सं०	रेलवे द्वारा अधिग्रहण किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेअर)
1	जसवन्त नगर	सैदपुर	23	0.0160
			5/1	0.0147
			5/2	0.0067
			6	0.0607
			25	0.2195
			27	0.0648
			योग	0.3824
2	इटावा सदर	डूंगरी	191	0.2432
			180	0.0691
			314	0.1636
			312	0.1348
			172	0.0650
			271	0.0484
			270	0.0371
			272	0.0407
			301	0.0118
			60	0.0127
			173	0.0692
			330	0.0210
			174	0.0647
			योग	0.9813

3.		आलमपुर हौज	392	0.0196
			335	0.0600
			367	0.0112
			387	0.0400
			481	0.0112
			477	0.0100
			497	0.1619
			499	0.0560
			योग	0.3699
4.		बुलाकीपुर लुहना	44	0.0341
			योग	0.0341
5.		कांधनी	547	0.0200
			569	0.0560
			568	0.0560
			562	0.1200
			627	0.0200
			628	0.0200
			630	0.0467
			योग	0.3387
6.		सराय एसर	6	0.0210
			योग	0.0210
7.		हरसौली	166/ EM	0.0217
			166/1M	0.0483
			166/1I	0.0038
			योग	0.0738
		योग		2.2012

[ई. फा. सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य.सी.ई.एन.जी.(जेन)/6/2023ओ./ओ.सी.ई./कांस्ट/नार्थ/ एच.क्यू./ एन.सी.आर
(कम्प्यूटर सं. 83817)]

अजीत सिंह यादव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAY

[North Central Railways (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 5th October, 2026

S.O. 5574(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) Railway (amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project for the Construction of **Etawah Bypass (10.98 Km)** District Etawah in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Additional District Magistrate (Finance & Revenue), Etawah, Uttar Pradesh** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20-D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, for the Special Railway Project, namely, **Etawah Bypass (10.98 Km)** under **Etawah sadar & Jaswant nagar Tehsil** in **Etawah district** in the state of Uttar Pradesh.

TEHSIL – ETAWAH, DISTRICT – ETAWAH				
SN	Name of tehsil	Name of village	Survey plot no.	AREA TO BE ACQUIRED BY RAILWAY (in Hectare)
1	Jaswant Nagar	Saidpur	23	0.0160
			5/1	0.0147
			5/2	0.0067
			6	0.0607
			25	0.2195
			27	0.0648
			Total	0.3824
2	Etawah Sadar	Doongri	191	0.2432
			180	0.0691
			314	0.1636
			312	0.1348
			172	0.0650
			271	0.0484
			270	0.0371
			272	0.0407
			301	0.0118
			60	0.0127

			173	0.0692
			330	0.0210
			174	0.0647
			Total	0.9813
3.		Alumpur Hauj	392	0.0196
			335	0.0600
			367	0.0112
			387	0.0400
			481	0.0112
			477	0.0100
			497	0.1619
			499	0.0560
			Total	0.3699
4.		Bulakipur Luhanna	44	0.0341
			Total	0.0341
5.		Kandhani	547	0.0200
			569	0.0560
			568	0.0560
			562	0.1200
			627	0.0200
			628	0.0200
			630	0.0467
			Total	0.3387
6.		Sarai Eshar	6	0.0210
			Total	0.0210
7.		Harsauli	166/ EM	0.0217
			166/1M	0.0483
			166/1I	0.0038
			Total	0.0738
		Grand Total		2.2012

[F. No. NCR-HQ0CENG(GEN)/6/2023-O/o CE/CONST/NORTH/HQ/NCR (Computer No.83817)]

AJIT SINGH YADAV, Chief Administrative Officer (Construction)